

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी

अपूर्वा परवाल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या

232/2023

विष्णु कंवर उर्फ सुशील कंवर पुत्री बोदू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अर्जुनपुरा जागीर तहसील पीसांगन जिला अजमेर

..प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसांगन

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- स्वयं उपस्थित - प्रार्थीया


-: निर्णय :- दिनांक 22.12.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र वास्ते दुरुस्ती के अन्तर्गत धारा 136 भू. रा. अधिनियम 1956 का इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया है, कि ग्राम अर्जुनपुरा जागीर तहसील पीसांगन में वर्तमान खाता संख्या 374, 283, 44, 158 में बोलता नाम सुशील कंवर इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थीया के दसवी की मार्कशीट, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत मांगलियावास का प्रमाण पत्र में विष्णु कंवर का अंकन है। जिस बाबत प्रार्थीया द्वारा शपथपत्र भी पेश किया जिसमें प्रार्थीया ने नाबालिग से बालिग होने का अवगत कराया है। अतः प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में नाम नाबालिग सुशील कंवर के स्थान पर विष्णु कंवर किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। मैंने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का तथा तहसीलदार पीसांगन की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पटवारी हल्का अर्जुनपुरा जागीर के द्वारा तैयार मौका पर्चा के अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सुशील कंवर के स्थान पर विष्णु कंवर किये जाने का है। अतः प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रिकार्ड प्रार्थीया के दसवी की मार्कशीट, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत मांगलियावास का प्रमाण पत्र में विष्णु कंवर का अंकन के आधार एवं प्रार्थीया द्वारा शपथपत्र के आधार पर प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसांगन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम अर्जुनपुरा जागीर तहसील पीसांगन में वर्तमान खाता संख्या 374, 283, 44, 158 में नाबालिग सुशील कंवर के स्थान पर सुशील कंवर उर्फ विष्णु कंवर किया जावे। शेष यथावत।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन